पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBENo.- 16/15	CPO's Sl. No. 42/15

No. E/MPP/0/ECR/HJP **dated :** 24/4/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी **PHOD/CHOD**, पू०म०रे०, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर

विषय/Sub.: forwarding of Gazette Notification no. G.S.R. 910 (E) dated 19/12/14, reg. enhancement of rates of stipend for Graduate, Technician and Technician (vocational) apprentices under the Apprentices Act, 1961.

संदर्भ/Ref: Rly. Bd's letter no. E(MPP)/2015/6/2 dt 9/3/15.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।
DA : As above.

24/4/15
(एस० के० चौधरी)
सकाधि/ESM एवं स्लिंग
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर ।
2. महासचिव/एस०सी०/एस०टी० एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर ।
3. सकाधि (कम्प्यूटर), पूमरे/हाजीपुर : कृपया इसे नेट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ० बी० सी० एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBE No. 16/2015

No. E(MPP)/2015/6/2 New Delhi, Dated: .02.2015 09/03/2015

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.910(E) dated 19.12.2014, regarding enhancement of rates of stipend for Graduate, Technician and Technician (Vocational) apprentices under the Apprentices Act, 1961.

Please refer to Ministry of Railways letters No. E(MPP)/2007/6/3 dated 23.08.2007 **(RBE No. 109/2007)**, dated 09.03.2011 **(RBE No.31/2011)** and E(MPP)/2013/6/7 dated 15/01/2014 **(RBE No.8/2014)**.

It has been decided that the Trade Apprentices engaged on the Indian Railways under the Apprentices Act, 1961 should be paid stipend with effect from 19/12/2014 at the revised rates as notified in the Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour & Employment's Notification No. G.S.R.910 (E) dated 19.12.2014 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Extraordinary Gazette of India on 23/12/2014 (Copy of the notification is enclosed). The expenditure should be met from within the existing budget allotment.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board

DA: As above

No. E(MPP)/2015/6/2 Dated: /02/2015 09/03/2015

Copy forwarded for information:

3. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units, Metro, COFMOW, CORE.
4. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi. (with 40 spares).

For Financial Commissioner/Railways

Copy for information to:

1. Ministry of Labour, DGE&T (Ms. Sandhya Salwan, Director (AT), Sharam Shakti Bhawan, New Delhi.

(Anuradha Singh)
Director (Trg. & MPP)
Railway Board

Conted....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं.16/2015
नई दिल्ली, /02/2015
09/03/2015

सं. ई(एमपीपी)2015/6/2

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां.

विषय: अप्रैंटिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) अप्रैंटिसों के वज़ीफे की दरें बढ़ाने से संबंधित दिनांक 19.12.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर.910(ई) अग्रेषित करना।

कृपया रेल मंत्रालय के दिनांक 23.08.2007 **(आरबीईसं. 109/2007)** और दिनांक 9.03.2011 **(आरबीई सं. 31/2011)** के पत्र सं. ई(एमपीपी)2007/6/3 और दिनांक 15/01/2014 **(आरबीई सं. 8/2014)** के पत्र सं. ई(एमपीपी)/2013/6/7 का अवलोकन करें।

यह विनिश्चय किया गया है कि अप्रैंटिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत भारतीय रेलों में नियुक्त ट्रेड अप्रैंटिसों को 23/12/2014 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दिनांक 19.12.2014 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 910 (ई) (अधिसूचना की प्रति संलग्न है) में यथा अधिसूचित संशोधित दरों पर दिनांक 19/12/2014 से वज़ीफे का भुगतान किया जाए। इस व्यय को मौजूदा बजट आबंटन से पूरा किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

अनुराधा 25/2/15
(अनुराधा सिंह)
निदेशक (ट्रेनिंग एवं एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

E(MPP)-S

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2014/पौष 2, 1936

No. 686] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2014/PAUSA 2, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 910(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (चौथा संशोधन) नियम, 2014 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ.) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(क)	स्नातक शिक्षु	4984 रुपए प्रतिमास
(ख)	सेंडविच पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थाओं से छात्र)	3542 रुपए प्रतिमास
(ग)	तकनीकी शिक्षु	3542 रुपए प्रतिमास
(घ)	सेंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	2890 रुपए प्रतिमास
(ङ.)	तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षु	2758 रुपए प्रतिमास"

[सं. डीजीईटी-4(1)/2012-एपी]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

5060 GI/2014

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 1 अगस्त, 1992 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 680(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2014

G.S.R. 910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: —

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Fourth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules 1992, in rule 11, in sub-rule (2), for clauses (a), (b), (c), (d) and (e) and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

"(a)	Graduate Apprentices	Rs. 4984 per month
(b)	Sandwich Course (Students from Degree Institutions)	Rs. 3542 per month
(c)	Technician Apprentices	Rs. 3542 per month
(d)	Sandwich course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 2890 per month
(e)	Technician (Vocational) Apprentices.	Rs. 2758 per month".

[No. DGET-4(1)/2012-AP]

ALOK KUMAR, Director General/ Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 680(E), dated the 22nd September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.